



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-25/2022-23

राजीव रंजन भगत

बनाम्

पवन टिवड़ेवाल एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 7/12/22

प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के न्यायालय के विविध वाद संख्या-01/21 (राजीव रंजन भगत बनाम् अंचल अधिकारी, महागामा वगै0) के आदेश दिनांक-11.01.2022 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया गया है एवं अपील वाद को अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-लीलावरी नं0-567 जमाबंदी सं0-27 की जमीन गत सर्वे खतियान में द्वारिका प्रसाद ढनढनियाँ एवं अन्य के नाम से दर्ज है। निगम कुमार ढनढनियाँ गत जमाबंदी रैयत के वंशज है। निगम कुमार ढनढनियाँ के द्वारा अपीलकर्ता को मुख्तारनामा दिया गया है। मुख्तारनामा के आधार पर जमीन का देखभाल करते हैं। लेकिन उक्त जमीन पर राम अवतार राम का नाम छल कपट कर पंजी-II में दर्ज करा लिया गया है तथा उत्तरवादी के द्वारा उक्त जमाबंदी की जमीन को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन कर बेच रहा है और उक्त जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अपीलकर्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के न्यायालय में पंजी-II से गलत व्यक्ति का नाम हटाने एवं पंजी-II में सही व्यक्ति का नाम दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। लेकिन निम्न न्यायालय ने अपीलकर्ता के द्वारा दाखिल किये गये तथ्यों पर विस्तार से विचार किये बिना ही अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया है। चूँकि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम के विपरीत है। इसलिए अपीलकर्ता के अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य है। उन्होंने अपील आवेदन अंगीकार के लिए अनुरोध किया है।

अपील आवेदन में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-लीलावरी नं0-567 जमाबंदी सं0-27 की जमीन गत सर्वे

सेटलमेंट पर्चा में बाबु दोआरीका प्रशाद ढनढनियाँ वगैरह के नाम से दर्ज है। अपीलकर्ता का दावा है कि गत जमाबंदी के वंशज द्वारा उन्हें मुख्तारनामा दिया गया है। लेकिन अपीलकर्ता की ओर से कोई भी कागजात संलग्न नहीं किया गया है। अतएव अपील आवेदन अंगीकार करने लायक प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलकर्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा


उपायुक्त
गोड्डा

570 को-128
28.10-22